राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (60) वन/2017 जयपुर, दिनांकः– 12 FEB 2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः–Diversion of 0.201 ha of forest land in Fovour of Power Grid Corporation of India Limited, Ajmer For Construction of 765 KV D/C Chittorgarh-Ajmer Transmission Line in Ajmer District.

संदर्भः–आपके कार्यालय के पत्रांक 255 दिनांक 11.01.2018,
प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/TRANS/23657/2017)

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में जिला अजमेर के ग्राम पंचायत देवपुरा के ग्राम रामपुरा में चित्तौडगढ–अजमेर ट्रांसमिशन लाईन पार्ट–III 765 केवी डी/सी लाईन निर्माण हेतु 0. 201 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.11.2017 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान के पत्रांक एफ 14(Trans/PGCIL)2017/एफसीए/प्रमुवस/255 दिनांक 11. 01.2018 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ.न. 11–9/98–एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.201 ha of forest land in Fovour of Power Grid Corporation of India Limited, Ajmer For Construction of 765 KV D/C Chittorgarh-Ajmer Transmission Line in Ajmer District की बिना वृक्षो के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. रात्रि केम्पिंग नहीं की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

D:\office matter\1(60)17 hi lett.docx

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
7. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीवन (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
8. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पडे स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जावेगा ।
9. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
11. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 03.11.2017 में वर्णित शर्तो की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालना नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालना होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
3. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस और इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
5. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
6. जिला कलेक्टर, अजमेर।
7. उप वन संरक्षक, अजमेर
8. मुख्य प्रबंधक, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अजमेर–305004
9. रक्षित पत्रावली।

(राम करण खैरवा)
विशेषाधिकारी, वन

D:\office matter\1(60)17 hi lett.docx